

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-पीपलू
जगदीश वर्गौ बनाम लछमा उर्फ लखमा वर्गौ

किस्म मुकदमा-इजरा

प्रकरण संख्या-14 सन् 2024

ln
2024/329

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
12/12/2024	<p>अधिवक्ता डिक्रीदार ने उपस्थित होकर पत्रावली प्रस्तुत की। पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। बउनवानी जगदीश बनाम लछमा उर्फ लखमा वर्गौ प्रकरण संख्या 100/2021 में दिनांक 04.09.2024 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किया गया था। जिसकी पालना आज दिनांक तक अपेक्षित है। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार पीपलू को तहरीर जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर 18.02.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p> <p>18/2/25</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कबी/प्रदीप उपस्थित/पी ओ साहू राजकार्य में उपस्थित अवकाश पर/उपस्थित होने के कारण पत्रावली आदेशिका अनुसार दिनांक 25/4/25 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। डी पी पीपलू के रिपोर्ट केपाल इन्तदा पालना रिपोर्ट के पत्रावली दिनांक 25-6-25 को पेश हो।</p>	
25/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता डिक्रीदार उप-। पत्रावली वाले पालना रिपोर्ट दिनांक 28.08.25 को पेश हो।</p>	
27/08/25	<p>पत्रावली, पालना रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर आज दिन को पेश हुई। अधिवक्ता डिक्रीदार उप-। प्रेषि प्रकृत से सुनाविक निर्णय अनुसार पालना से चुकी है। प्रकृत से अधिवक्ता कार्यवाही रजिस्टर नहीं है। प्रकृत से शेष किया जा-</p>	

उपनि धनी होना है। उद्योगों की मदद से
श. प्याली के रूप में जो पान के उद्योग
के माध्यम से पान के उद्योग को प्याली में
एक पर रूप की पानी से। प्याली में
एक होकर टानर को पान के उद्योगों
को एक से एक है।

39 खण्ड अधिकारी
पीपल (टांक)